भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2487
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 4 अगस्त, 2025
13 श्रावण, 1947 (शक)

प्राचीन स्मारकों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार

2487. श्री नवीन जिंदल:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार हेतु विशिष्ट योजनाओं या पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) लोक संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कलाओं सहित देश की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण और संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे उपाय क्या हैं;
(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक विरासत स्थलों और संस्थानों तक पहुँच बढ़ाने हेतु योजनाओं का विस्तृत विवरण क्या है;
(घ) सांस्कृतिक कलाकृतियों की चोरी/लूट की समस्या से निपटने और देश में उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वापस लाई गई ऐसी कलाकृतियों की संख्या क्या है; और
(ड.) सांस्कृतिक विरासत को विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 3685 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। इन केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और यह राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के नियमों और शर्तों के अधीन संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(ख): संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, नियमित आधार पर प्रदर्शन कलाओं और अन्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (आईसीएच) के दस्तावेजीकरण और डिजिटल संग्रहण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। ये प्रयास अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के डिजिटल संरक्षण में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के बारे में क्षमता निर्माण करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के घटकों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित संगठनों, सामाजिक समूहों, स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, भारत भर के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र

(जेडसीसी) संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य और ललित कला जैसे विषयों में दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान और दस्तावेजीकरण करते हैं। यह पहल इन परंपराओं को मुद्रित और दृश्य-श्रव्य दोनों स्वरूपों में प्रलेखित करती है और इन कला रूपों का चयन राज्य सांस्कृतिक विभागों के परामर्श से किया जाता है।

इसके अलावा, साहित्य अकादमी अपने "लोक : अनेक स्वर" नामक कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से आधारभूत स्तर पर पारंपरिक कला रूपों और सांस्कृतिक के आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है जिनमें कार्यक्रम में व्याख्यानों के साथ-साथ प्रदर्शन भी शामिल हैं। इन कार्यक्रम की परिकल्पना देश की लोक-कला और आदिवासी कला एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए की गई थी।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को यथासंभव दिव्यांगजन के लिए सुलभ बनाए, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रति भेदभाव को रोकना है और साथ ही समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी दिव्यांगजनों के समानता, गरिमा और सम्मान के अधिकार दिए जाने पर ज़ोर देना है। अतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने अधीन संरक्षित स्मारकों, स्थलों और स्थल संग्रहालयों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में अधिसूचित सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

(घ): सरकार ने सांस्कृतिक संपत्ति की लूट और अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। नियमित निगरानी और पहरा कार्मिकों के अलावा, स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों में आवश्यकतानुसार निजी सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जब कभी पुरावशेष के चोरी होने की रिपोर्ट होती है संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और चोरी हुए पुरावशेष को ढूंढने और इसके अवैध निर्यात को रोकने के लिए सीमा शुल्क निकासी चैनलों सहित विधि प्रवर्तन एजेंसियों को 'लुकआउट नोटिस' जारी किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, विदेशों से पुनः प्राप्त हुए पुरावशेषों का विवरण **'अनुबंध-क'** में संलग्न है।

(ङ.): संगीत नाटक अकादमी ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के विभिन्न तत्वों और विद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रदर्शन कलाओं को शामिल करने के लिए एनसीईआरटी के अधिकारियों को कार्य पर लगाया है।

अनुबंध-क

लोक सभा में दिनांक 04.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2487 के उत्तर के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान वापस लाए गए पुरावशेषों का ब्यौरा

क्र. सं.	वर्ष	देश	वापस लायी गई कलाकृतियाँ	वर्षवार कुल
1.	2020	ऑस्ट्रेलिया	03	08
		यू.के	05	
2.	2021	यू.के	01	159
		कनाडा	01	
		यू.एस.ए.	157	
3.	2022	ऑस्ट्रेलिया	29	30
		यू.के	01	
4.	2023	ऑस्ट्रेलिया	02	115
		यू.के	07	
		यू.एस.ए.	105	
		इटली	01	
5.	2024	थाईलैंड	01	298
		यू.एस.ए.	297	
	कुल			610

*****